(2

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 6/वि01–1076/07 - 1600 दिनांक– 25/10/07

प्रेषक,

श्री शशि शेखर शर्मा (I.A.S)
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार
सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार

विषय– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर 'टर्न–की' (TURN KEY) आधार पर स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार यह कहना है कि पूर्व में विभाग की जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं में व्यवहृत होने वाली मुख्य सामग्रियाँ यथा, विभिन्न प्रकार के पाईप, हैंड पंप, स्टेनर आदि का केन्द्रीयकृत स्तर पर निविदा कर प्रमण्डलों की अधियाचना के विरूद्ध क्रयादेश मुख्यालय से निर्गत किया जाता था। प्रमण्डलों द्वारा सामग्री प्राप्त कर जांचोपरान्त सम्बन्धित शीर्ष से भुगतान किया जाता था तदोपरान्त योजनाओं के सिविल एवं मेकेनिकल कार्यों की निविदा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के सक्षमता के अनुरूप की जाती थी और उनका क्रियान्वयन कराया जाता था।

2. कतिपय कारणों से जलापूर्ति योजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की ससमय उपलब्धता सुलभ नहीं होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई परिलक्षित हो रही है। इस कठिनाई को दूर करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था।

राज्य सरकार ने भलीभांति विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि :–

1. ग्रामीण/शहरी पेय जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा सभी सामानों के सहित आमंत्रित कर कार्य संपादित कराया जाये।
2. एक जिले के लिए स्वीकृत चापाकलों का आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक ग्रुप बनाकर निविदा की जाए जिसमें सामग्रियों के आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक द्वारा किए जाने का प्रावधान हो।

3. विभिन्न मदों/कार्यों में लगने वाले मानक गुणवत्ता की सामग्रियों की दर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कराकर उसे परिमाण विपत्र में प्रयुक्त किया जाए।

4. इस प्रकार सामग्रियों सहित 'टर्न–की' माध्यम से प्राप्त निविदा के कार्यान्वियन, में उपयोग में लाई जाने सामग्रियों की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड के अनुरूप सुनिश्चित की जाय। निर्धारित गुणवत्ता का शत–प्रतिशत निरीक्षण प्रतिष्ठित तृतीय पार्टी से कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य में किये जाने का प्रावधान रखा जाए। निर्धारित गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की जवाबदेही क्षेत्रीय पदाधिकारियों की होगी।

5. विभाग में सम्प्रति उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग पूर्व से स्वीकृत योजनाओं में संवेदकों को निर्गत करते हुए, कर लिया जाए एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप उसकी मूल्य की रिकवरी का प्रावधान संविदा में किया जाए।

6. इस योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व सक्षम स्तर से तकनिकी स्वीकृत प्राप्त करके ही सक्षम स्तर पर निविदा की कार्रवाई की जाय।

7. विशेष परिस्थिति में यदि विभागीय स्तर पर कोई कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो इसमें भी सामग्रियों की आपूर्ति क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित दर के आधार पर मानक गुणवत्ता के अनुरूप किया जाएगा।

उपर्युक्त वर्णित आदेश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 1600, दिनांक– 25/10/07

प्रतिलिपि– मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव